[illegible]-5-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित
22-05-24	प्रार्थना O-7 R-11 व 151 CPC पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश O-7 R-11 CPC आगामी दिनांक 5-06-24 को पेश हो।
5-06-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश O-7 R-11 व धारा 151 CPC दिनांक 19-06-24 को पेश हो।
19-6-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रा०पत्र O-7 R-11 व 151 CPC पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गयी। पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत O-7 R-11 व धारा 151 CPC प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

दावा संख्या 82/2008

दायरा दिनांक 29.28.2008

बउनवान

1. हंसराज पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. राधेश्याम पिता प्रहलाद जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 2/1 सुरेंद्र आयु वयस्क पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 2/2 सोनू आयु वयस्क पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 2/3 नरेन्द्र आयु वयस्क पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 2/4 प्रीति आयु वयस्क पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 2/5 जशोदा आयु वयस्क पुत्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. रामचरण पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान
   - 3/1 शिवराज पुत्र रामचरण आयु वयस्क जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 3/2 विमला पुत्री रामचरण आयु वयस्क जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
   - 3/3 सुमित्रा पत्नी रामचरण आयु वयस्क जाति मीणा निवासी पापड़ी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

–वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0
2. महावीर पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0
3. हीरा लाल पिसरान सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0
4. सुमित्रा पुत्री सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0
5. लटूरी बाई बेवा सुन्दरा जाति गूजर निवासी पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,राज0
6. शिव शंकर शर्मा आ0 हरिप्रसाद कटारा जाति ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा, लाखेरी जिला बून्दी
7. राजस्थान राज्य लेण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0
8. सब रजिस्ट्रार साहब, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
9. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद–अधिकारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः–
वादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हेमन्त कुमार योगी
प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की तरफ से श्री महेन्द्र कुमार रेबारी श्री बाला लाल बीड़ा

निर्णय

दिनांकः– 19.06.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 696 रकबा 1.54 है0 बरानी वाके ग्राम पापडी पटवार क्षेत्र पापडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में सुन्दरा पुत्र माधो कौम गूजर साकिन देह गैर खातेदार मृतक जरिये नामान्तकरण संख्या 136 विरासत दिनांक 15.08.2007 के उक्त फौती सुन्दरा के स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 व उसके पूर्वज मृतक सुन्दरा का कभी कब्जा नहीं रहा है। वादीगण उक्त आराजी पर निरन्तर निर्बाद रूप से 30 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त होने से खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में होने से उसका नाजायज लाभी उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रतिवादी संख्या 6 से मिलकर उक्त आराजी पर नाजायज तौर पर खुर्द बुर्द करना चाहते है, विक्रय, बेचान, हस्तानान्तरण करना चाहते है। अन्त में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 696 रकबा 1.54है0 वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के वादीगण को खातेदार आसामी घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में से 1 लगायत 5 प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण को बतौर खातेदार अंकित फरमाया जावें।

वादगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री बाला लाल बीडा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण 6 लगायत 9 अनुपस्थित रहेने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया कि सुन्दरा आ0 माधो जाति गूजर को पुराने खसरा संख्या 386/2 रकबा 10 बीघा कृषि भूमि सीलिंग आवंटन नियमों के अनुसार मिसल नम्बर 278 दिनांक 24.10.1977 को आवंटन हुई थी सीलिंग नियमों के अनुसार सुन्दरा ने राशि जमा करवाई थी। उक्त पुराने खसरा संख्या के नये नम्बर 696 रकबा 1.54है0 है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के पिता प्रहलाद जी के खाते की थी तथा प्रहलाद जी के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही कर राज्य सरकार ने सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण अधिग्रहण कर सुंदरा जी को आवंटन की थी जिसकी कोई अपील वादीगण के पिता द्वारा नहीं की गई। आवंटन के पश्चात् उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि पर सुंदरा का लगातार कब्जा रहा और राजस्व अधिकरियों ने उक्त कृषि भूमि सुंदरा के गैर खातेदारी में अंकित कर दी थी। सुन्दरा की मृत्यु दिनांक 26.09.2005 में हो जाने से नामांन्तकरण संख्या 136 दिनांक 15.08.2007 से उक्त कृषि भूमि उनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम गैर खातेदारी में अंकित कर दी थी। आज भी उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का कब्जा है। प्रतिवादीगण ने उक्त वाद ग्रस्त आवंटित कृषि भूमि का सीलिंग नियमों के अनुसार 17664 रु राजकोष में जमा करवाये है। राज्य सरकार द्वारा उक्त कृषि भूमि का अधिग्रहण किये जाने के बाद वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। वादीगण ने परेशान करने की नियत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

श्याम की मृत

वाद पेश किया है अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। पत्रावली में तनकी कायम की गई। साक्ष्यवादी करवाये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी हंसराज, किशनगोपाल, रामदेव रामहेत मीणा के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए। प्रतिवादी सं 1 व 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री महेन्द्र रेवारी ने वकालतनामा पेश किया। वादी हसंराज से जिरह पूरी की गई जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खसरा संख्या 696 रकबा 1.54है0 दिनांक 7.09.2022 को प्रदर्श करवायी गई। पत्रावली अन्य साक्ष्य जिरह साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 व आदेश–1 नियम–10 व धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलवाई गई। प्रतिवादीगण 1 व 5 की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 व धारा 151 सी0पी0सी0 वास्ते दावा खारीज करने बाबत् प्रस्तुत किया गया नकल वादीगण के अधिवक्ता को दिलवाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जो वाद पेश किया है उसका मुख्य आधार एडवर्स पजेशन है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा नहीं चल सकता क्योंकि यह बार्ड बाई लॉ है एवं वादीगण द्वारा दावा की चरण संख्या 2 मुख्य है जिसके आधार पर ही वाद का आधार है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं होती है हालांकि वादीगण का कब्जा कभी भी नहीं रहा है। वादीगण स्वयं ही दावा को लम्बा करना चाहता है क्योंकि दावा कमजोर एवं मेनटेनेबल नहीं है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इसी स्टेज पर खारिज करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वाद में वादीगण की साक्ष्य पूरी नहीं हुई और प्रतिवादीगण की साक्ष्य आना बाकी है। कब्जे बाबत व वादी द्वारा लिये गये अभिवचनों की आधार पर तनकी कायम हो चुकी है। वादी की तरफ से दिनांक 31.05.2023 को आदेश–6 नियम–17 व आदेश–1 नियम–10 व धारा 151 जा0दी0 का संयुक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसका जवाब पेश नहीं कर मुकदमा को लम्बा करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 व धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया है प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राधेश्याम की मृत्यु दिनांक 28.06.23 को होने के बाद लगाई है जो कायम मुकाम बनाये जाने की प्रक्रिया के दौरान कानूनन स्थगित रहने से प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। वादीगण द्वारा आदेश–6 नियम–17 का प्रार्थना पत्र निस्तारण से पूर्व प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 व धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जो वाद पेश किया है उसका मुख्य आधार एडवर्स पजेशन है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा नहीं चल सकता क्योंकि यह बार्ड बाई लॉ है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं होती है। वादीगण का कब्जा वाद विषयक आराजी पर कभी भी नहीं रहा है। वादीगण स्वयं ही दावा को लम्बा करना चाहता है क्योंकि दावा कमजोर एवं मेनटेनेबल नहीं है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इसी स्टेज पर खारिज करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2017(2) Page no 1100, 2022(2)DNJ(Rev.) Page no 1468, RRL 1993(2) Page no 472, 2016 RRJ Page no 514 पेश किए। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र राधेश्याम की मृत्यु दिनांक 28.06.23 को होने के बाद लगाया है जो कायम मुकाम बनाये जाने की प्रक्रिया के दौरान कानूनन स्थगित रहने से प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। वादीगण द्वारा आदेश–6 नियम–17 का प्रार्थना पत्र निस्तारण से पूर्व प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2023(2)D.N.J(Raj) Page no 537, 1996 D.N.J(Raj) Page no 397, 2013 D.N.J(Rev) Page no 207, 2007(1) R.L.W RJ Page 583, 2007-08 D.N.J Page no 251, 2011 RRD Page no 106, AIR 2003 S.C. Page no. 1905, AIR 3827 पेश किए।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली उपस्थित दस्तावेज व जवाब का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी मनन किया। प्रविवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर 2016 RRJ Page no 514 उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। वाद खारिज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 किसी भी स्टेज पर लगायी जा सकती है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 का निस्तारण पत्रावली में लम्बित अन्य कार्यवाही से पूर्व किया जाना चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 खसरा संख्या 694 रकबा 1.54है0 वाके ग्राम पापडी सुन्दरा पुत्र माधो कोम गूजर का वाद वर्णित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या नया 154 पुराना 194 खसरा संख्या 694 रकबा 1.54है0 वाके ग्राम पापडी तहसील इन्द्रगढ़ पर नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 13.06.2011 से शिवशंकर आत्मज हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड की गयी है। वादीगण द्वारा अपने पिछले 30 वर्षों से काबिज काश्त चले आने का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही वादीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी कब उनके नाम दर्ज थी तथा किस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादीगण का वाद कमजोर प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश किया है जिसे पत्रावली में वर्तमान स्थिति तक वादीगण साबित करने में असफल रहे है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करना कानूनन पोषणीय नहीं है। वादीगण वाद को अनावश्यक लम्बित रखना चाहते है। हमारे मत में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–11 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)